<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायपीठ, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्र. 658/2003</u>

अपीलार्थी(कारागार में):

गोविंद राम, आत्मज धरमसाय आयु 35 वर्ष, निवासी ब्रह्मपारा, थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत दांडिक अपील</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 658/2003

गोविंद राम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक 20.01.2006 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता./-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>दांडिक अपील संख्या 658/2003</u>

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

गोविंद राम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

श्रीमती सविता तिवारी, अपीलार्थी की अधिवक्ता।

श्री रवींद्र अग्रवाल, राज्य हेतु पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 20 जनवरी 2006 को पारित किया गया)

यह अपील श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 16/2002 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2003 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की

धारा 22 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था, अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 19.3.2002 को थाना अंबिकापुर के उप-निरीक्षक हरिचरण सिंह अभि.सा-8 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के पास अवैध रूप से ब्राउन-शुगर है। विधिक औपचारिकताओं का पालन करने के उपरांत, साक्षी शाहिद खान अभि.सा-5 और अनवर कुरैशी अभि.सा-1 के साथ, वह ग्राम असोला स्थित स्कूल के पास मौके पर पहुंचे। अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सूचना देने के पश्चात, अपीलार्थी की तलाशी ली गई। उसकी फुल पैंट से, ब्राउन-शुगर जैसा पदार्थ दो सफेद रंग की पॉलिथीन में प्रदर्श पी.5 के अनुसार जब्त किया गया। तौलने पर, इसका वजन 10 ग्राम और 50 मिलीग्राम पाया गया। दोनों पुड़ियों की अंतर्वस्तु को मिला दिया गया। पुड़ियों को सीलबंद किया गया। सिगरेट के पैकेट में मिली एक सफेद रंग की फॉसिल शीट, जिस पर ब्राउन-शुगर के सेवन के दाग थे, उसे भी जब्त किया गया। जब्तशुदा ब्राउन शुगर की सीलबंद पुड़ियों को प्रधान आरक्षक महेश प्रसाद गुप्ता अभि.सा-2 को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंप दिया गया। दिनांक 20.03.2002 को दोनों सीलबंद पुड़ियों को अधीक्षक पुलिस, सरगुजा के ज्ञापन प्रदर्श पी.25 के साथ रासायनिक विश्लेषण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। दिनांक 30 मार्च 2002 की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पुड़ियों में डायसिटिल मॉर्फिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(हेरोइन) पाया गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियुक्त- अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। अभियुक्त ने दोष स्वीकार नहीं किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और प्रतिवाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अभियुक्त अपीलार्थी को कंडिका 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

3. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:

i) स्वतंत्र साक्षियों अनवर कुरैशी अभि.सा-1 और शाहिद खान अभि.सा-5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, जिससे हरिचरण सिंह, सहा. उप निरीक्षक. का साक्ष्य अविश्वसनीय हो गया। भोला राम कुशवाहा विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2001 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1 और बहादुर सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 2002 क्रिमिनल एल. जे. 579 (एस.सी.) का अवलंब लिया।

ii) तौल पंचनामा के साक्षी छेदी प्रसाद अभि.सा-6 ने भी अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया जिससे तौल पंचनामा प्रदर्श पी.9 संदेहास्पद हो गया।

iii) सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह अभि.सा-8 ने, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस प्रदर्श पी.1 में, यह उल्लेख नहीं किया कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया था। ऐसा करने में विफलता से, अभियुक्त-अपीलार्थी को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ। अतः, अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य अपेक्षा के अननुपालन के कारण, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का पात्र था। **के. मोहनन विरुद्ध केरल राज्य, 2000 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1228** के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv) अंत में यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह दर्शाए कि जब्तशुदा पदार्थ थाना अंबिकापुर के मालखाने में थाना प्रभारी की मुहर लगने के पश्चात प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 55 का पूर्णतः अननुपालन था और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एफ.एस.एल. को परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना तथाकथित रूप से छेड़छाड़ किया गया हो।

4. राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रवींद्र अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 50 का सारवान अनुपालन हुआ है और सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि धारा 50 के अंतर्गत नोटिस देने से पूर्व उसने अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। यह सत्य है कि स्वतंत्र साक्षियों अनवर कुरैशी अभि.सा-1 और शाहिद खान अभि.सा-5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। छेदी प्रसाद अभि.सा-6 ने भी यह कथन किया कि तौल पंचनामा अभियुक्त की उपस्थिति में नहीं बनाया गया था और पुलिस उसकी दुकान पर आई थी और उसे कुछ पुड़िया तौलने के लिए कहा था। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि वे पुड़िया अभियुक्त-अपीलार्थी से जब्त की गई थीं। सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह अभि.सा-8 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-31 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त एक निरक्षर व्यक्ति था, और इसलिए, दस्तावेजों पर उसके अंगूठे का निशान लगवाया गया था। अपनी मुख्य

परीक्षा में कंडिका 6 में, उसने यह कथन नहीं किया था कि उसने अभियुक्त को सूचित किया था कि उसके पास अधिनियम के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी तलाशी कराने का विधिक अधिकार है। यह केवल प्रतिपरीक्षण की कंडिका- 31 में उभरकर आया है कि उसने अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत तलाशी के संबंध में उसके अधिकार के बारे में समझाया था। सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह द्वारा अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत उसके विधिक अधिकार के बारे में समझाते समय वास्तव में क्या कहा गया था, वह अभिसाक्ष्य में नहीं आया। इसके अतिरिक्त, नोटिस प्रदर्श पी.1 में यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित किया गया था। इसमें केवल यह उल्लेख है कि यदि अभियुक्त चाहता, तो उसकी तलाशी किसी निकटतम मजिस्ट्रेट या एस.डी.ओ. (पी)/सी.एस.पी. द्वारा ली जा सकती थी। इस प्रकार, नोटिस में यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी का विकल्प चुन सकता था। प्रधान आरक्षक संजय तिवारी अभि.सा-9, जो सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह के साथ उपस्थित थे, उन्होंने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त को सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत तलाशी के विधिक अधिकार के बारे में अवगत कराया गया था। कंडिका-6 में, उन्होंने कथन किया कि सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह ने अभियुक्त से पूछा था कि क्या वह सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह द्वारा या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी कराना पसंद करेगा। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रदर्शित नहीं होता कि अभियुक्त-अपीलार्थी को निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया था। एक ओर, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके विधिक अधिकार के बारे में अभियुक्त-अपीलार्थी को सूचित करने के संबंध में नोटिस प्रदर्श पी.1 में महत्वपूर्ण लोप है और दूसरी ओर सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह अभि.सा-8 और प्रधान आरक्षक संजय तिवारी अभि.सा-9 का परिसाक्ष्य परस्पर विरोधी है। स्वतंत्र साक्षियों अनवर कुरैशी अभि.सा-1 और शाहिद खान अभि.सा-5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नोटिस प्रदर्श पी.1 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त का केवल अभिमत मांगा गया था कि क्या वह पास के मजिस्ट्रेट या एस.डी.ओ.(पी)/सी.एस.पी. से तलाशी कराना चाहता है या नहीं। यह ऐसा भी नहीं दर्शाता कि अभियुक्त-अपीलार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी का विकल्प दिया गया था। **के. मोहनन विरुद्ध केरल राज्य, 2000 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1228** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि तलाशी के अधीन अभियुक्त से केवल यह पूछा गया था कि क्या उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी की आवश्यकता है, तो इसे उसे यह सूचित करना नहीं माना जा सकता कि विधि के अंतर्गत ऐसा करने का उसका अधिकार था। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 50 का अननुपालन हुआ था और फलस्वरूप, पुलिस उप-निरीक्षक के साक्ष्य

पर किसी अन्य स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में यह दिखाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपीलार्थी के पास निषिद्ध सामग्री थी। उपरोक्त प्रकरण में, लंगोट की तह से बरामद पैकेट में ब्राउन शुगर की 4 छोटी पुड़िया होना कथित था। उपरोक्त दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होता है। नोटिस प्रदर्श पी.1 यह नहीं दर्शाता कि अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके विधिक अधिकार से अवगत कराया गया था। यह ऐसा भी नहीं दर्शाता कि अभियुक्त- अपीलार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी का विकल्प दिया गया था। सहा. उप निरीक्षक. हरिचरण सिंह अभि.सा-8 और प्रधान आरक्षक संजय तिवारी अभि.सा-9 का परिसाक्ष्य भी विरोधाभासी है क्योंकि प्रधान आरक्षक संजय तिवारी अभि.सा-9 ने यह कथन नहीं किया कि अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार या किसी पास के मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी के विकल्प के बारे में धारा 50 के अंतर्गत अवगत कराया गया था। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 का पूर्ण अननुपालन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधिनियम की धारा 55 निम्नानुसार पठित है:

> 55. **अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना** - किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किए जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी

मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे।

धारा 55 का स्पष्ट पठन यह दर्शाता है कि वस्तुओं को मालखाने में रखने से पूर्व, थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए ऐसी पुड़ियों पर अपनी मुहर लगाना आवश्यक है। किंतु, इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 55 का पूर्ण अननुपालन है। न तो सहा. उप निरीक्षक हरिचरण सिंह अ.सा.8 ने अपने साक्ष्य की कंडिका 21 में और न ही महेश प्रसाद गुप्ता अ.सा.2 ने कंडिका 2 में यह कथन किया कि जब्तशुदा वस्तुएं थाने के भारसाधक अधिकारी की मुहर लगाने के पश्चात मालखाने में रखी गई थीं। प्रधान आरक्षक संजय तिवारी ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी.16 ने यह भी प्रकट नहीं किया कि वे पॉलिथीन की पुड़िया जिनमें ब्राउन-शुगर होने का कथन था, मालखाने में सीलबंद अवस्था में परिदत्त की गई थीं। इसमें केवल यह कहा गया है कि 4 सफेद पॉलिथीन की पुड़िया जो पीली पॉलिथीन में रखी थीं, जिनमें ब्राउन-शुगर होना कहा गया था और एक सफेद सिगरेट की पन्नी जिसमें ब्राउन-शुगर पीने का दाग होना कहा गया था, परिदत्त की गई थी। यह सहा. उप निरीक्षक हरिचरण सिंह अ.सा.8 और प्रधान आरक्षक संजय तिवारी अ.सा.9 के इस परिसाक्ष्य साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय बना देता है कि जब्तशुदा वस्तुएं मौके पर ही सीलबंद की गई थीं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, इस संभावना से इनकार नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जा सकता कि वह ब्राउन-शुगर जिसका एफ.एस.एल. द्वारा परीक्षण किया गया था, अभियुक्त-अपीलार्थी से जब्त नहीं की गई थी।

8. तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, मेरे सुविचारित अभिमत में अधिनियम की धारा 50 और 55 के अननुपालन के कारण, अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

9. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 22 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को तत्काल मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य प्रकरण में वह वांछित न हो। अर्थदंड, यदि संदत्त किया गया हो, तो अभियुक्त-अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**